


फर्द अहकाम
अज अदालत-न्यायालय जिला कलक्टर-मुकाम-भरतपुर

सुशील कुमार बनाम जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 21/ सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
21.03.2022	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्त सुशील कुमार पुत्र दिनेशचन्द जाति वैश्य निवासी झोरोल तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल थाना कोतवाली भरतपुर की अपील जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर के खिलाफ पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है।</p> <p>अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लोटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा भरतपुर सम्भाग भरतपुर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर भरतपुर राज०</p>	171 24/3/22